

GOVERNMENT OF INDIA

 दिल्ली राजपत्र
 Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 446]	दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 6, 2017/अग्रहायण 15, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 374
No. 446]	DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 6, 2017/AGRAHAYANA 15, 1939	[N.C.T.D. No. 374

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2017

फा.सं. 07 (367)(39)/2002/यूडी/पा.फाई./2010/8411-8421.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 169 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा दिनांक 23 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं. फा. 07 (367)(39)/2002/यूडी/पा.फाई./2010/3026 द्वारा नगर कराधान न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त सुश्री पारिजा पी. (अधिवक्ता) की नियुक्ति हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
पवन चोपड़ा, उप-सचिव (स्थानीय निकाय)

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 5th December, 2017

No.F. 7(367)(39)/2002/UD/Pt.-2/2010/8411-8421.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 169 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957), Lt. Governor, Government of National Capital Territory of Delhi, is pleased to accord ex-post facto sanction for appointment of Ms. Parija P. (Advocate), appointed as member of Municipal Taxation Tribunal *vide* notification No.F.7(367)(39)/2002/UD/Pt.-2/2010/3026 dated 23rd July, 2015.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
PAWAN CHOPRA, Dy. Secy. (Local Bodies)